

[2023] 4 एस. सी. आर. 324

/

[2023] 4 एस सी आर।

/

ग्राहक आयोग, केंद्रीय अपवाद और

सेवा कर

बनाम

एम/एस सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड।

(2018 की सिविल अपील संख्या 11400-11401)

/

अप्रैल 10, 2023

[एम. आर. शाह और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

वित्त अधिनियम, 1994-एस.65(35 बी), 65 (105) (जेडजेडजेडडी)-"डिजाइन सेवाएँ"-पवन टरबाइन जनरेटर (डब्ल्यूटीजी) के निर्माण में लगे उत्तरदाता ने भारत में डब्ल्यूटीजी के निर्माण के लिए जर्मनी में अपनी सहयोगी संस्था के साथ उत्पाद विकास और खरीद समझौता किया-डब्ल्यूटीजी के निर्माण के लिए उत्तरदाता द्वारा "इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग" के विभिन्न मॉडलों का आयात किया गया था-यदि यू/एस के रूप में परिभाषित "डिजाइन सेवाओं" की श्रेणी के अंतर्गत सेवा कर के लिए देय हो। 65(35 ख) आर/डब्ल्यू एस। 65(105) (zzzzd)-आयोजित:हां-"डिजाइन सेवाओं" की परिभाषा सभी "डिजाइन सेवाओं" को शामिल करने के लिए बहुत स्पष्ट और व्यापक है-केवल इसलिए कि प्रतिवादी की सहयोगी कंपनी द्वारा तैयार और आपूर्ति की गई "इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग" को सीमा शुल्क अधिनियम और प्रविष्टि बिल के अंतर्गत "सामान" के रूप में दिखाया गया था, कि अपने आप में 1994 के अधिनियम के अंतर्गत ऐसी सेवाओं को "डिजाइन सेवाओं" की परिभाषा से बाहर करने का आधार नहीं हो सकता है-सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा लिया गया विचार कि एक ही गतिविधि पर कर नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि सामान और सेवाएं बिल्कुल गलत हैं-सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश सेवा कर के लेवी अपास्त करते हुए ते हुए रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है-हालांकि, सेवा कर की ओर से उठाए गए आधारों पर विचार करने के लिए सी. ई. एस. टी. ए. टी. को वापस भेजा गया मामला रद्द कर दिया जाता है।

/

/

/

/

कर/कराधान:

पहलू सिद्धांत-का अनुप्रयोग-आयोजित:पहलू सिद्धांत को लागू करके अलग-अलग शीर्षों के अंतर्गत दो अलग-अलग कर/शुल्क हो सकते हैं-एक ही गतिविधि पर 'माल' और 'सेवाओं' के रूप में कर लगाया जा सकता है बशर्ते अनुबंध अविभाज्य हो और सेवाओं के पहलू पर सेवा कर लगाया जा सकता है।

/

वस्तुओं की बिक्री और सेवा अनुबंध-विशिष्टता-आयोजित:वस्तुओं की बिक्री और सेवा अनुबंध के बीच एक अंतर है-जो प्रासंगिक है वह अनुबंध करने वाले पक्षों का इरादा है।

/

324 ए.

325

ग्राहक आयुक्त, केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर बनाम एम/एस सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :डिजाइनों का उपयोग विशेष रूप से भारत के क्षेत्र में प्रतिवादी द्वारा किया जाना था और यह एक अनुरूप डिजाइन था।प्रत्यर्थी ने डब्ल्यू. टी. जी. के निर्माण में उपयोग की जाने वाली "इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग" की गतिविधि के लिए संबंधित मेसर्स एस. ई. जी. को नियुक्त किया, जिसे कागज पर ब्लू प्रिंट के रूप में कम कर दिया गया और उसी माध्यम से प्रत्यर्थी को वितरित किया गया।पैकेज्ड सॉफ्टवेयर पर अप्रत्यक्ष करों की प्रयोज्यता के मुद्दे पर बोर्ड द्वारा दिनांक **18.03.2011** के स्पष्टीकरण के अनुसार भी इस तरह के "डिजाइन" सेवा कर के अधीन थे।इसलिए, प्रत्यर्थी रिवर्स चार्ज के अंतर्गत विदेश से प्राप्त "डिजाइन सेवाओं" पर सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।मेसर्स एस. ई. जी. एक संबंधित इकाई थी, अर्थात् निर्धारिती की सहायक और मेसर्स एस. ई. जी. द्वारा उक्त "इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग" सेवाओं के लिए निर्धारिती-प्रतिवादी से सेवा के लिए प्राप्त राशि इसलिए 'संबद्ध उद्यम' की अवधारणा के संदर्भ में रिवर्स चार्ज के अंतर्गत सेवा कर के लिए उत्तरदायी थी।इसके बावजूद, मेसर्स एस. ई. जी. ने निर्धारिती पर चालान/बिल उठाया

और इसे 'कागज' माना।हालाँकि, जब उक्त प्रवेश पत्र को 'कागज' के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसके लिए देय शुल्क 'शून्य' था।इसलिए, न तो इसे 'कागज' मानते हुए शुल्क के भुगतान से छूट के कारण कोई सीमा शुल्क का भुगतान किया गया और न ही सेवा कर का भुगतान किया गया।एक विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा, आयुक्त ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी कर योग्य श्रेणी 'डिजाइन सेवाओं' के अंतर्गत सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।तथापि, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी वित्त अधिनियम, **1994** के अंतर्गत "डिजाइन सेवाओं" के अंतर्गत सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, मुख्य रूप से इस आधार पर कि सीमा शुल्क प्राधिकरण इसे 'माल' के रूप में मानता है और इसलिए उसी गतिविधि पर 'माल' और 'सेवाओं' के रूप में कर नहीं लगाया जा सकता है।उपरोक्त दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है।पहलू सिद्धांत को लागू करके अलग-अलग शीर्षों के अंतर्गत दो अलग-अलग कर/शुल्क हो सकते हैं।समान गतिविधि पर 'वस्तुओं' और 'सेवाओं' के रूप में कर लगाया जा सकता है बशर्ते अनुबंध अविभाज्य हो और सेवाओं के पहलू पर सेवा कर लगाया जा सकता है।सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय उपरोक्त पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।"डिजाइन सेवाओं" की परिभाषा बहुत स्पष्ट है और यह सभी "डिजाइन सेवाओं" को शामिल करने के लिए पर्याप्त है।" केवल इसलिए कि "इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग" द्वारा तैयार और आपूर्ति की गई

/

/

/

/

/

/

/

326 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 4 एस. सी. आर.

/

सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत सहयोगी कंपनी को 'माल' के रूप में दिखाया गया था और प्रवेश पत्र में, वित्त अधिनियम, **1994** के अंतर्गत ऐसी सेवाओं को 'डिजाइन सेवाओं' की परिभाषा से बाहर निकालने का आधार नहीं हो सकता है।अन्यथा भी, माल की बिक्री और सेवा अनुबंध के बीच अंतर होता है।प्रासंगिक बात यह है कि अनुबंध करने वाले पक्षों का इरादा और क्या अनुबंध करने वाले पक्ष अलग-अलग या अविभाज्य तरीके से या समग्र तरीके से वस्तुओं और सेवाओं दोनों के हस्तांतरण का इरादा रखते हैं।सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा यह

दृष्टिकोण कि एक ही गतिविधि पर वस्तुओं और सेवाओं के रूप में कर नहीं लगाया जा सकता है, पूरी तरह से गलत है। सेवा कर के उद्ग्रहण अपास्त करते हुए ते हुए सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।
[पैरा 7-9] [335-एफ-एच; 336-ए-जी; 337-ए]

/

/

बी. एस. एन. एल बनाम भारत संघ (2006) 3 एस. सी. सी. 1:[2006] 2 एस. सी. आर. 823-निर्भर।

/

सोजिट्ज निगम बनाम सेवा कर आयुक्त, न्यू

दिल्ली 2009 (14) एसटीआर 642 (ट्राई। दिल्ली); हिंदुस्तान

शिपयार्ड लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2000) 6 एस. सी. सी. 579:[2000] 1 पूरक।एससीआर 592; एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड बनाम।सीमा शुल्क आयुक्त (2001) 4 एस. सी. सी. 593:[2001] 1 एससीआर 608; टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बनाम स्टेट ऑफ एपी।

/

(2005) 1 एससीसी 308:[2004] 5 पूरक।एस. सी. आर. 1040-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

[2006] 2 एससीआर 823

पर विश्वास किया

पैरा 3

/

[2000] 1 पूरक।एस. सी. आर. 592 पैरा 4.2 [2001] 1 एस. सी. आर. 608 पैरा 4.3 [2004] 5 सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. 1040 पैरा 4.5 में निर्दिष्ट है।

सिविल अपील की अधिकारिता 2018 की सिविल अपील संख्या 11400-11401।

/

2013 के ए. एन. सं. 87589 और 87590 में मुंबई में सीमा शुल्क सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, पश्चिम क्षेत्रीय पीठ के दिनांक 02.05.2018 के निर्णय और आदेश से।

/

327

ग्राहक आयुक्त, केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर बनाम एम/एस सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड।

/

एन. वेंकटरमन, ए. एस. जी., रुपेश कुमार, वी. चंद्रशेखर भारती, सुश्री प्रियंका दास, मुकेश कुमार मारोरिया, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

वी. श्रीधरन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री चरण्या लक्ष्मीकुमारन, साहिल पारधी, विनय कुमार जैन, सुश्री अपेक्षा मेहता, आदित्य भट्टाचार्य, सुश्री मोनिका कस्तूरी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई में पश्चिम क्षेत्रीय पीठ (जिसे इसके बाद 'सी. ई. एस. टी. ए. टी.' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा अपील संख्या एस. टी./87589 और <आई. डी. 2 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने प्रतिवादी-मेसर्स सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'प्रतिवादी' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पसंद की गई उक्त अपीलों को अनुज्ञात है और यह अभिनिर्धारित किया है कि पवन टरबाइन जनरेटर (संक्षेप में, 'डब्ल्यू. टी. जी.') के निर्माण के उद्देश्य से प्रतिवादी द्वारा आयातित विभिन्न मॉडलों के 'इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग' के अंतर्गत सेवा कर के लिए देय नहीं हैं।

/

/

/

2. कि यहाँ प्रत्यर्थी विभिन्न कर योग्य सेवाएं प्रदान कर रहा था।प्रतिवादी डब्ल्यू. टी. जी. के निर्माण में भी था। जर्मनी और नीदरलैंड में स्थित इसकी तीन सहायक कंपनियां हैं जिनके साथ उत्पाद विकास और खरीद समझौता किया गया था।

/

2.1 प्रत्यर्थी ने दिनांकित एक समझौता किया था 01.04.2007 (डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.2007) मेसर्स सुजलॉन एनर्जी जीएमबीएच, जर्मनी के साथ उत्पाद विकास और खरीद समझौते के लिए एक सहयोगी चिंता है जिसका उपयोग विशेष रूप से भारत के क्षेत्र में डब्ल्यूटीजी के निर्माण के लिए किया जाएगा। उत्पादों को विशेष रूप से उक्त समझौते के पैरा 1.10 में परिभाषित किया गया था।

/

2.2 प्रत्यर्थी ने इन डिजाइनों को आयात करते समय सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ प्रवेश पत्र दायर किया और सीमा शुल्क के अध्याय उप-शीर्षक संख्या 49119920 के अंतर्गत इसे "पेपर" के रूप में वर्गीकृत किया और अधिसूचना संख्या 021 के अंतर्गत सीमा शुल्क की 'शून्य' दर का लाभ लेने का दावा किया।

/

328

/

[2023] 4 एस सी आर।

/

2002 बी. सी. डी. के लिए और सी. वी. डी. के लिए अधिसूचना संख्या 020/2006। उस प्रतिवादी ने दावा किया कि चूंकि प्रवेश पत्र दाखिल करके सीमा शुल्क मार्ग से प्राप्त डिजाइन और चित्र "वस्तु" थे न कि "सेवा", इसलिए उसे सेवा कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी।

2.3 लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि प्रतिवादी ने डब्ल्यू. टी. जी. के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न मॉडलों के "इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग" पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया था, जिसे जून, 2007 से सितंबर, 2010 की अवधि के लिए "डिजाइन सेवाओं" की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता था।

/

2.4 इसमें अपीलार्थी-सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्त, पुणे ने प्रत्यर्थी को दिनांक 15.12.2001 का एक कारणदर्शक नोटिस जारी किया जिसमें उसे यह कारण दिखाने के लिए कहा गया कि वित्त अधिनियम के अध्याय V की धारा 73 के प्रावधानों के अंतर्गत उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली कर योग्य सेवाओं के मूल्य पर Rs.18,42,99,652 का सेवा कर और वित्त अधिनियम के अध्याय VI की धारा 85 के अंतर्गत उपकर की मांग क्यों नहीं की जाए। प्रत्यर्थी से धारा 75 के अंतर्गत देय ब्याज और वित्त अधिनियम की धारा 76 और 78 के अंतर्गत जुर्माने का भुगतान करने के लिए भी कहा

गया था। बाद की अवधि के लिए, यानी अक्टूबर, 2010 से सितंबर, 2011 तक, मेसर्स एस. ई. जी. और मेसर्स सुजलॉन ब्लेड टेक्नोलॉजी, नीदरलैंड से "डिजाइन सेवा" के मूल्य पर 515/- रुपये के सेवा कर की मांग करते हुए एक और कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था।

/

/

/

2.5 दिनांक 25.03.2012 के मूल आदेश के माध्यम से, आयुक्त-अपीलार्थी ने धारा 65 (105) (जेड. जेड. जेड. डी.) के अंतर्गत कर योग्य "डिजाइन सेवाओं" के प्रदाता के रूप में और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (35 बी) में सेवाओं की परिभाषा के अनुसार कारण दर्शाएँ नोटिसों में की गई मांगों की पुष्टि की। आयुक्त ने ब्याज के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया।

/

2.6 आयुक्त द्वारा सेवा कर की मांगों की पुष्टि करने और ब्याज और जुर्माना लगाने के आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी ने सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष अपील दायर की। आक्षेपित सामान्य आदेश द्वारा, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने इन पर भरोसा करते हुए उक्त अपीलों को अनुज्ञात है।

/

सोजिट्रज निगम बनाम सेवा कर आयुक्त, नई दिल्ली के मामले में इसका पिछला निर्णय 2009 (14) एसटीआर 642 (ट्राई) में रिपोर्ट किया गया था।

दिल्ली) और यह माना है कि उक्त डिजाइन और चित्र 'माल' हैं न कि 'सेवा'। सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने यह भी देखा और माना है कि वस्तुओं और सेवाओं के कराधान की पारस्परिक और स्पष्ट रूप से कल्पना की गई है और इसलिए एक ही गतिविधि पर वस्तुओं और सेवाओं के रूप में कर नहीं लगाया जा सकता है।

/

329

ग्राहक आयुक्त, केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर बनाम एम/एस सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

नतीजतन, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने ऑर्डर-इन-ओरिजिनल को इस आधार पर अलग कर दिया है कि "ड्राइंग और डिजाइन" को सामान के रूप में माना जाना चाहिए और इसलिए इसे सेवा के रूप में नहीं माना जा सकता है।

2.7 सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, राजस्व ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

3. राजस्व की ओर से उपस्थित भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एन. वेंकटरमन ने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय के विचार के लिए विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जून, 2007 से सितंबर, 2010 की अवधि के दौरान वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (35 बी) आर/डब्ल्यू धारा 65 (105) (जेडजेडजेडडी) के अंतर्गत परिभाषित "डिजाइन सेवाओं" की श्रेणी के अंतर्गत डब्ल्यूटीजी के निर्माण के उद्देश्य से प्रतिवादी द्वारा आयातित विभिन्न मॉडलों का "इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग" सेवा कर के लिए देय है?

/

3.1 श्री एन. वेंकटरमन, विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी की यह दलील कि हर समय मीडिया में डाली गई किसी भी बौद्धिक संपदा को केवल 'माल' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और कभी भी 'सेवाओं' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, विधि का सही कथन नहीं हो सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि बौद्धिक संपदा को मीडिया में डाल दिया जाता है, यह उन्हें स्वयं वस्तु नहीं बनाएगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अनुबंध करने वाले पक्षों ने इसे माल के हस्तांतरण या बिक्री के रूप में समझा है या नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दर्जी या विरचित चित्रों के एक समूह का आयात माल की बिक्री का गठन करेगा, जबकि यदि कोई व्यक्ति एक चित्रकार को अपनी पसंद की तस्वीर खींचने और अपने विनिर्देशों और पेंटिंग के वितरण के लिए संलग्न करता है, भले ही एक कैनवास पर विधिवत विरचित किया गया हो, तो यह केवल एक सेवा का गठन कर सकता है, क्योंकि चित्रकार ने एक विशेष ग्राहक और अपने विनिर्देशों के लिए पेंटिंग बनाने में अपना पूरा बौद्धिक प्रयास किया है और जैसे-जैसे वह पेंटिंग के साथ आगे बढ़ता है, वही एक विशिष्ट ग्राहक के लिए है। 3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह "डिजाइन और चित्र" के मामले में भी हो सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक विशिष्ट ग्राहक के लिए उसके विनिर्देशों के अनुरूप सेवा अनुबंध के अंतर्गत चित्र और डिजाइन तैयार करने की तुलना में दर्जी द्वारा बनाए गए चित्र और डिजाइन या तैयार चित्र और डिजाइन का एक सेट एक अलग खंड का गठन करेगा। 3.3 श्री एन. वेंकटरमन, विद्वान ए. एस. जी. ने बी. एस. एन. एल. बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है, जो (2006) 3 एस. सी. सी. 1 (पैरा 44 और 44) में रिपोर्ट किया गया है। 45), माल की बिक्री और सेवा अनुबंध के बीच के अंतर पर उसके प्रस्तुत करने के समर्थन में। जिस पर

/

/

/

बी. एस. एन. एल. (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय और माल की बिक्री और सेवा अनुबंध के बीच अंतर, श्री एन. वेंकटरमन ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

क) इसने अभिनिर्धारित किया कि पारंपरिक अर्थों में बिक्री का अर्थ है गैरन डंकरली परीक्षण और, वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल करने वाली मानित बिक्री केवल एक कार्य अनुबंध और खाद्य अनुबंध तक सीमित होगी; ख) इसने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 366 (29 ए) यह मानने के लिए लाइसेंस नहीं देता है कि एक लेनदेन एक बिक्री है और फिर यह देखने के लिए कि माल क्या हो सकता है। यह एक गलत दृष्टिकोण होगा क्योंकि 46 वें संशोधन द्वारा माल की अभिव्यक्ति में बदलाव नहीं किया गया था और बिक्री के अवयवों की परिभाषा समान बनी हुई है।

/

/

ग) हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अवधारणाओं की सामग्री स्थिर रहती है, और न्यायालयों को समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए;

घ) इसने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 366 (29 ए) अस्पताल सेवाओं, वकील सेवाओं और अन्य व्यावसायिक सेवाओं को शामिल नहीं करता है, जहां ऐसी सेवाओं को प्रदान करने के दौरान माल का हस्तांतरण हो सकता है;

/

ई) अस्पताल में एक मरीज का उपचार और उपचार के दौरान गोलियों का सेवन बिक्री के समान नहीं होगा।

/

च) जब कोई डॉक्टर लिख कर प्रिस्क्रिप्शन सौंपता है या कोई वकील किसी दस्तावेज का मसौदा तैयार करता है और उसे अपने मुवक्किल को दे देता है, तो सख्ती से कहें तो शुल्क के भुगतान के साथ, दोनों मामलों में दस्तावेजों के लिए रोगी या मुवक्किल से डॉक्टर या वकील को विचार नहीं जाता है।

/

छ) तथापि, ये मात्र सेवाएँ हैं और इसमें प्रविष्टि 54 सूची 2 के प्रयोजनों के लिए बिक्री शामिल नहीं है;

ज) इसका कारण यह है कि अंततः गैरन डंकरली परीक्षण को लागू करना पड़ता है। यदि अनुबंध का कोई साधन है जो अनुच्छेद 366 (29 ए) के अपवादों के अलावा किसी भी मामले में समग्र रूप में हो सकता है, जब तक कि वास्तव में लेन-देन दो अलग-अलग अनुबंधों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और इस तरह से स्पष्ट नहीं है, तो राज्य को सेवा प्रदान करने और बिक्री पर कर लगाने के लिए समझौते से बेचने के समझौते को अलग करने की शक्ति नहीं होगी।

/

/

331

ग्राहक आयुक्त, केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर बनाम एम/एस सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

i) इसलिए, अनुच्छेद 366 (29 ए) के अंतर्गत आने वाले दो अनुबंधों के अलावा सेवा अनुबंधों के लिए परीक्षण यह होगा कि 'क्या पक्षों के पास मेरे अधिकार थे या माल की बिक्री से उत्पन्न होने वाले अलग-अलग अधिकार थे? यदि ऐसा कोई इरादा नहीं था, तो कोई बिक्री नहीं है, भले ही अनुबंध को विघटित किया जा सके।' और

जे) यह तय करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध एक श्रेणी या किसी अन्य में आता है, परीक्षण, जैसा कि अनुबंध का सार है जिसे अन्यथा कहा जाता है, प्रमुख प्रकृति परीक्षण है।

/

3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अनुबंध करने वाले पक्ष या तो अलग से या अविभाज्य तरीके से या समग्र तरीके से वस्तुओं और सेवाओं दोनों के हस्तांतरण का इरादा रखते हैं। 3.5 श्री एन. वेंकटरमन, विद्वान ए. एस. जी. ने भी अपनी प्रस्तुति के समर्थन में निम्नलिखित चित्र प्रस्तुत किए हैं कि डब्ल्यू. टी. जी. के निर्माण के उद्देश्य से प्रतिवादी द्वारा आयातित विभिन्न मॉडलों के "इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग" सेवा कर के लिए देय हैं और वस्तुओं के रूप में कर नहीं लगाया जा सकता है:

/

/

i) यदि कोई अनुबंधित पक्ष ए और बी एक कारखाने में निर्माण, स्थापना और कमीशन के लिए एक विशाल बॉयलर की खरीद के लिए सहमत होते हैं, तो अनुबंधित पक्षों के इरादे में एक

बॉयलर को सामान के रूप में बेचने और निर्माण, स्थापना और सेवा के रूप में चालू करने की परिकल्पना की जाएगी। यह अनुबंध या तो विभाज्य, अविभाज्य या समग्र हो सकता है। अनुबंध की प्रकृति जो भी हो, इच्छुक पक्षों ने माल की बिक्री और सेवा प्रदान करने दोनों के लिए अनुबंध किया है।

/

ii) एक मरीज का अस्पताल अंतर्गत इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने दिल की सर्जरी और एक स्टेंट डालने की सलाह दी थी। यहाँ फिर से, इसमें दो तत्व शामिल हैं। अस्पताल से रोगी के शरीर में स्टेंट का स्थानांतरण और अस्पताल के माध्यम से डॉक्टर द्वारा चिकित्सा सेवाओं का प्रतिपादन। भले ही इसमें सामान (स्टेंट) और सेवाएं (चिकित्सा सेवाएं/अस्पताल सेवाएं) दोनों शामिल हैं, अनुबंध करने वाले पक्ष, अर्थात्, रोगी और अस्पताल, एक स्टेंट खरीदने और बेचने का इरादा नहीं रखते हैं और साथ ही चिकित्सा सेवाओं को बिक्री और सेवा की 2 वस्तुओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अनुबंध अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवाओं की प्रस्तुति के लिए है और प्रस्तुति के दौरान, डॉक्टर की सलाह के आधार पर, रोगी के शरीर में एक स्टेंट डाला जाता है।

/

/

/

332

/

[2023] 4 एस सी आर।

3.6 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए।

4. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. श्रीधरन ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान अपील में शामिल सटीक प्रश्न यह है कि क्या ग्राहक द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार तैयार किए गए माध्यम में निहित कस्टमाइज ड्राइंग/डिजाइन की शुद्ध बिक्री (मानित बिक्री नहीं) पर सेवा कर लगाया जा सकता है। "

/

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विधि की तय स्थिति के अनुसार, ग्राहक द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार माल की आपूर्ति को भी माल की बिक्री माना जाता है।

/

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहला प्रश्न यह है कि क्या ग्राहक द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार माल की आपूर्ति माल की बिक्री का अनुबंध है या केवल श्रम पर काम करने का अनुबंध है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मामला बनाम ए. पी. राज्य, 2000 में रिपोर्ट किया गया

6 एस. सी. सी. 579 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि वितरित की जाने वाली वस्तु का वितरण से पहले उस पक्ष की एकमात्र संपत्ति के रूप में कोई व्यक्तिगत अस्तित्व है जिसे इसे वितरित करना है, तो यह एक बिक्री है। इसके अलावा, यदि निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री का बड़ा हिस्सा उस निर्माता का है जो अंतिम उत्पाद को एक कीमत पर बेचता है, तो यह इस निष्कर्ष पर एक मजबूत संकेत है कि अनुबंध सार में माल की बिक्री के लिए है न कि श्रम के लिए।

/

4.3 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने एसोसिएटेड के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

/

सीमेंट कंपनीज लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त ने बताया कि

(2001) 4 एससीसी 593। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई भी मीडिया जिसमें चित्र या डिजाइन होते हैं, उन्हें सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत माल माना जाएगा। यह देखा गया है कि ये वस्तुएं चल वस्तुएं हैं और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (22) (ई) के अंतर्गत आती हैं। यह देखा और माना जाता है कि प्रौद्योगिकी या विचारों के अनुरूप होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4.4 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. श्रीधरन द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि यह सही हो सकता है कि निर्णय

/

/

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय का

हो सकता है कि यह इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण न हो कि माल की शुद्ध बिक्री पर सेवा कर नहीं लगाया जा सकता है, उक्त निर्णय निश्चित रूप से इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि एक माध्यम पर डिजाइन को माल की प्राकृतिक परिभाषा के अंतर्गत माल के रूप में माना जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय ए

/

ग्राहक आयुक्त, केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर बनाम एम/एस सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

यह इस प्रस्ताव के लिए भी एक प्राधिकरण है कि आयातक द्वारा मूल आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि ऐसी वस्तुओं की बिक्री के लिए मूल्य के अलावा और कुछ नहीं है। 4.5 वरिष्ठ वकील श्री वी. श्रीधरन ने भी टाटा के मामले में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया है।

परामर्श सेवा बनाम ए. पी. राज्य, (2005) 1 एस. सी. सी. 308 में रिपोर्ट की गई।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में, प्रश्न यह था कि क्या अपीलकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए डिब्बाबंद सॉफ्टवेयर को "माल" कहा जा सकता है और आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत बिक्री कर के लिए आकलन योग्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में, यह न्यायालय एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में निर्णय की पुष्टि करता है और यह अभिनिर्धारित करता है कि बौद्धिक संपदा, एक बार इसे मीडिया के सामने रखे जाने के बाद, चाहे वह पुस्तकों या कैनवास (पेंटिंग के मामले में) या कंप्यूटर डिस्क या कैसेट के रूप में हो और जिसका विपणन किया जाए, "वस्तु" बन जाएगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि माल की बिक्री पर बिक्री कर लगाया जाता है जबकि सेवा कर सेवा के प्रावधान पर लगाया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए किसी मूल्य पर माल का हस्तांतरण सेवा कर के अधीन नहीं हो सकता है।

/

/

/

4.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह सच है कि लेन-देन के विभिन्न पहलुओं पर अलग-अलग प्रावधानों के माध्यम से कर लगाया जा सकता है। पहलू सिद्धांत लेन-देन के दो अलग-अलग पहलुओं या विशेषताओं के करधान की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, एक खानपान अनुबंध में, भोजन की आपूर्ति मूल्य वर्धित कर के अधीन थी और सेवा पहलू सेवा कर के अधीन था। हालाँकि, बी. एस. एन. एल. (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने कहा है कि पहलू सिद्धांत वस्तुओं के मूल्य को सेवाओं में शामिल करने की अनुमति नहीं देता है और इसके विपरीत। उक्त निर्णय के पैरा 88 में की गई टिप्पणियों पर भरोसा रखा गया है।

/

/

4.8 प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री वी. श्रीधरन ने आगे कहा कि सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष प्रतिवादी ने एक विशिष्ट आधार उठाया कि किसी विदेशी संस्था द्वारा प्रदान की

जाने वाली सेवाएं (यदि कोई हों) "डिजाइन सेवाओं" के दायरे में नहीं आएंगी। प्रत्यर्थी ने एक विशिष्ट आधार भी उठाया कि सीमा की विस्तारित अवधि को लागू नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, हालांकि उक्त प्रस्तुतियाँ सी. ई. एस. टी. ए. टी. के रूप में दर्ज की गई हैं, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने उन दलीलों पर विचार नहीं किया है और इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि इन सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए मामले को सी. ई. एस. टी. ए. टी. को भेजा जाए।

/

/

334

/

[2023] 4 एस सी आर।

5. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है।

वर्तमान अपीलों में तय किया जाने वाला मुद्दा यह है कि क्या जून, 2007 से सितंबर, 2010 तक की विवादग्रस्त अवधि के दौरान नोटिस द्वारा सहयोगी कंपनियों से "इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग" के आयात की गतिविधि को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105) (जेडजेडजेडडी) के साथ पठित धारा 65 (35 बी) के अंतर्गत कर योग्य श्रेणी "डिजाइन सेवाओं" के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। 5.1 उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते समय, वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत "डिजाइन सेवाओं" की परिभाषा, जैसा कि यह आक्षेपित अवधि के दौरान थी, पर विचार करने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार है:

/

/

धारा 65.परिभाषाएँ।-इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो,

.....

(36 बी) डिजाइन सेवाओं में फर्नीचर, उपभोक्ता उत्पादों, औद्योगिक उत्पादों, पैकेजों, लोगो, ग्राफिक्स, वेबसाइटों और कॉर्पोरेट पहचान डिजाइनिंग और त्रि-आयामी मॉडल के उत्पादन के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल हैं:

/

.....

(105) (i) "कर योग्य सेवा" का अर्थ है प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा,

/

(i) किसी भी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा डिजाइन सेवाओं के संबंध में, लेकिन इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा शामिल नहीं है -

((ii) उपखंड (q) में निर्दिष्ट इंटीरियर डेकोरेटर; और (ii) उपखंड (zv) में निर्दिष्ट फैशन डिजाइनिंग के संबंध में एक फैशन डिजाइनर:

/

और "सेवा प्रदाता" शब्द का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाएगा।" इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि "डिजाइन सेवाओं" की परिभाषा एक व्यापक और निर्णायक है, विशेष रूप से केवल फैशन डिजाइन और इंटीरियर डिजाइनिंग को छोड़कर, जो पहले से ही अलग कर योग्य श्रेणी के अंतर्गत कर योग्य थे।

/

6. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी पवन टरबाइन जनरेटर (डब्ल्यू. टी. जी.) के निर्माण में लगा हुआ था। इसने 'उत्पाद विकास ए' में प्रवेश किया।

/

335

ग्राहक आयुक्त, केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर बनाम एम/एस सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

और अपनी तीन सहयोगी कंपनियों के साथ खरीद समझौता किया। समझौते के प्रासंगिक खंड, विशेष रूप से जो 'उत्पाद' को निम्नानुसार परिभाषित करते हैं:

1.10.1 'सभी संबंधित और प्रासंगिक घटकों के साथ रेटेड क्षमता वाले डब्ल्यू. टी. जी. के सभी मॉडलों का डिजाइन और विकास और उसमें आवश्यक;

/

1.10.2 'सभी संबंधित और प्रासंगिक घटकों के साथ 'सुजलॉन फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम' का डिजाइन और विकास और उसमें आवश्यक;

1.10.3 मेसर्स एस. ई. जी. द्वारा विकसित किए गए सभी और कोई भी उत्पाद (चाहे वास्तव में नियमित व्यावसायिक घंटों के दौरान कल्पना की गई हो या नहीं), समझौते के अंतर्गत अपने

दायित्वों को पूरा करने के दौरान मेसर्स एस. ई. जी. और उसके एजेंटों और कर्मचारियों द्वारा खोजे गए या बनाए गए;

/

1.10.4 उपर्युक्त के संबंध में अध्ययन योजना गतिविधियों, विनिर्माण प्रक्रिया विवरण वाली सामग्री और दस्तावेजों सहित प्रलेखन।

/

1.10.5 समय-समय पर उपरोक्त में किए गए सभी संशोधन और अन्य सभी सुधार उपरोक्त के भीतर विकसित और शामिल किए गए हैं।

/

1.10.6 बौद्धिक संपदा और उससे संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार अब तक जर्मन आविष्कार विधि के अंतर्गत आते हैं।

7. इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि उक्त डिजाइनों का उपयोग विशेष रूप से भारत के क्षेत्र में प्रतिवादी द्वारा किया जाना था और यह एक अनुरूप डिजाइन था। प्रत्यर्थी ने डब्ल्यू. टी. जी. के निर्माण में उपयोग की जाने वाली "इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग" की गतिविधि के लिए सहयोगी संस्था मेसर्स एस. ई. जी. को नियुक्त किया, जिसे कागज पर ब्लू प्रिंट के रूप में कम कर दिया गया और उसी माध्यम से प्रत्यर्थी को वितरित किया गया। पैकेज्ड सॉफ्टवेयर पर अप्रत्यक्ष करों की प्रयोज्यता के मुद्दे पर बोर्ड द्वारा दिनांक 18.03.2011 के स्पष्टीकरण के अनुसार भी इस तरह के "डिजाइन" सेवा कर के अधीन थे। इसलिए, प्रत्यर्थी रिवर्स चार्ज के अंतर्गत विदेश से प्राप्त "डिजाइन सेवाओं" पर सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। यह भी पाया गया कि मेसर्स एस. ई. जी. एक संबंधित इकाई थी, अर्थात्, निर्धारिती की सहायक इकाई और मेसर्स एस. ई. जी. द्वारा उक्त "इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग" के लिए निर्धारिती-उत्तरदाता से सेवा के लिए प्राप्त राशि।

/

/

/

336

/

[2023] 4 एस सी आर।

इसलिए 'संबद्ध उद्यम' की अवधारणा के संदर्भ में सेवाएँ रिवर्स चार्ज के अंतर्गत सेवा कर के लिए उत्तरदायी थीं।

8. उपरोक्त के बावजूद, मेसर्स एस. ई. जी. ने निर्धारिती पर चालान/बिल उठाया और इसे 'कागज' माना। हालाँकि, जब उक्त प्रवेश पत्र को 'कागज' के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसके लिए देय शुल्क 'शून्य' था। इसलिए, न तो इसे 'कागज' मानते हुए शुल्क के भुगतान से छूट के कारण कोई सीमा शुल्क का भुगतान किया गया और न ही सेवा कर का भुगतान किया गया। एक विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा, आयुक्त ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी कर योग्य श्रेणी 'डिजाइन सेवाओं' के अंतर्गत सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। तथापि, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत "डिजाइन सेवाओं" के अंतर्गत सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, मुख्य रूप से इस आधार पर कि सीमा शुल्क प्राधिकरण इसे 'माल' के रूप में मानता है और इसलिए उसी गतिविधि पर 'माल' और 'सेवाओं' के रूप में कर नहीं लगाया जा सकता है। उपरोक्त दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है। जैसा कि बी. एस. एन. एल. (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, पहलू सिद्धांत को लागू करके अलग-अलग शीर्षों के अंतर्गत दो अलग-अलग कर/शुल्क हो सकते हैं। विधि की अब तय स्थिति के अनुसार, उसी गतिविधि पर 'माल' और 'सेवाओं' के रूप में कर लगाया जा सकता है बशर्ते अनुबंध अविभाज्य हो और सेवाओं के पहलू पर सेवा कर लगाया जा सकता है। सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय उपरोक्त पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, "डिजाइन सेवाओं" की परिभाषा बहुत स्पष्ट है और यह सभी "डिजाइन सेवाओं" को शामिल करने के लिए पर्याप्त है।" केवल इसलिए कि सहयोगी कंपनी द्वारा तैयार और आपूर्ति की गई "इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग" को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत 'माल' के रूप में दिखाया गया था और प्रवेश पत्र में, इसके द्वारा वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत ऐसी सेवाओं को "डिजाइन सेवाओं" की परिभाषा से बाहर निकालने का आधार नहीं हो सकता है।

9. अन्यथा भी, जैसा कि इस न्यायालय ने बी. एस. एन. एल. (उपर्युक्त) के मामले में कहा है, वस्तुओं की बिक्री और सेवा अनुबंध के बीच अंतर है। प्रासंगिक बात यह है कि अनुबंध करने वाले पक्षों का इरादा और क्या अनुबंध करने वाले पक्ष अलग-अलग या अविभाज्य तरीके से या समग्र तरीके से वस्तुओं और सेवाओं दोनों का हस्तांतरण करना चाहते हैं। बी. एस. एन. एल. (उपरोक्त) के मामले में निर्धारिती के खिलाफ और राजस्व के पक्ष में इस न्यायालय के फैसले में इस मुद्दे को पूरी तरह से शामिल किया गया है। इसलिए, सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा यह दृष्टिकोण कि एक ही गतिविधि पर वस्तुओं और सेवाओं के रूप में कर नहीं लगाया जा सकता है, पूरी तरह से गलत है। सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा आगे कुछ भी चर्चा नहीं की गई है, विशेष रूप से पैरा 20 के बाद से दर्ज आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर।

/

/

/

/

/

/

/

337

ग्राहक आयुक्त, केंद्रीय एक्साइज और सेवा कर बनाम एम/एस सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]

/

इन परिस्थितियों अंतर्गत , सेवा कर के उद्ग्रहण अपास्त करते हुए ते हुए सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

हालांकि, उसी समय, जैसा कि सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष उठाए गए अन्य आधारों के रूप में, "क्या किसी विदेशी संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं (यदि कोई हैं)" डिजाइन सेवाओं "के दायरे में आएंगी या नहीं और सीमा की विस्तारित अवधि के आह्वान पर सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा विचार नहीं किया गया है और इसलिए प्रतिवादी के विद्वान वकील ने उपरोक्त दो आधारों पर निर्णय लेने के लिए मामले को सी. ई. एस. टी. ए. टी. को भेजने की प्रार्थना करना उचित है।

/

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश में कहा गया है कि प्रत्यर्थी पवन टर्बाइन जनरेटर (डब्ल्यू. टी. जी.) के निर्माण के उद्देश्य से "इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग" के विभिन्न मॉडलों के आयात पर "डिजाइन सेवाओं" के रूप में सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जैसा कि वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (35 बी) आर/डब्ल्यू धारा 65 (105) (जेड. जेड. जेड. डी.) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। हालाँकि, यह मामला सी. ई. एस. टी. ए. टी. को प्रत्यर्थी की ओर से उठाए गए आधारों पर विचार करने के लिए वापस भेजा जाता है, अर्थात्, क्या किसी विदेशी संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं (यदि कोई हों) "डिजाइन सेवाओं" के दायरे में नहीं आएंगी और क्या विभाग सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करने में उचित नहीं था। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त दो आधारों पर विचार करने के लिए मामला सी. ई. एस. टी. ए. टी. को वापस भेजा जाता है और कोई अन्य नहीं। जहाँ तक "इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग" पर सेवा कर लगाने के मुद्दे का संबंध है, वही निर्णय राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के खिलाफ लिया जाता है। 11. तत्काल अपीलों का निपटारा उपरोक्त के संदर्भ में

किया जाता है।यद्यपि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

/

/

/

दिव्या पांडे

अपीलों का निपटारा किया गया।(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह और रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

/

/